रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 856] नई दिल्ली, मंगलवार अक्तूबर 17, 2017/आश्विन 25, 1939
No. 856] NEW DELHI, TUESDAY OCTOBER 17, 2017/ASVINA 25, 1939

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 1302(अ).—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2010 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः—

1. (1) इन नियमों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017 कहा जाएगा।

(2) इन नियमों को 1 अप्रैल, 2015 से लागू माना जाएगा।

2. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2010 में नियम 19 के उप-नियम (1) और (2) में शिक्षकों से संबंधित भाग VI में "पांच वर्ष" शब्द के स्थान पर दोनों जगह पर, जहां कहीं भी आए हैं, "नौ वर्ष" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

1. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (मूल अधिनियम) को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा संशोधित किया गया था और शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अर्हताओं और सेवा संबंधी निबंधन एवं शर्तों से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) में एक नया उपबंध जोड़ा गया था। जोड़े गए नए उपबंध को निम्नानुसार पढ़ा जाए "*बशर्ते कि 31 मार्च, 2015 तक नियुक्त अथवा पदासीन प्रत्येक शिक्षक, जिसने उप-धारा (1) के अंतर्गत यथा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं प्राप्त नहीं की हैं, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रारंभ होने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के भीतर इन न्यूनतम अर्हताओं को प्राप्त कर लेगा।*"

2. इन नियमों को उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख अर्थात् 1 अप्रैल, 2015 से पूर्वव्यापी प्रभाव से घोषित करते हुए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अनुरूप बनाने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2010 में संशोधन किया जा रहा है। इन नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव से घोषित करने से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फा. सं. 1-5/2017-ईई. 4]

अनीता करवाल, अपर सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), दिनांक 9 अप्रैल, 2010 में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 301(अ), दिनांक 9 अप्रैल, 2010 के जरिए प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 155(अ) दिनांक 20 फरवरी, 2017 के जरिए इनमें आखिरी बार संशोधन किया गया था तथा भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), दिनांक 22 फरवरी, 2017 में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2017

G.S.R. 1302(E).—In exercise of the power conferred by section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2010, namely:—

1. (1) These rules may be called the Right of Children to Free and Compulsory Education (Second Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2015.

2. In the Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2010, in Part VI relating to Teachers, in sub-rule (1) and (2) of rule 19, for the words "five years", at both places wherever they occurred the words "nine years" shall be substituted.

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Principal Act) was amended by the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Act, 2017 and a new proviso was inserted in sub-section (2) of section 23 of the Principal Act relating to qualifications for appointment and terms and conditions of service of teachers. The inserted new proviso reads as "*Provided further that every teacher appointed or in position as on the 31st March, 2015, who does not possess minimum qualifications as laid down under sub-section (1), shall acquire such minimum qualifications within a period of four years from the date of commencement of the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Act, 2017.*"

2. The Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2010 are being amended in order to bring these rules in consonance with the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Act, 2017, giving retrospective effect from the date of commencement of the said Act, i.e. with effect from 1st April, 2015. In providing the retrospective effect, interests of no person shall be adversely affected.

[F. No. 1-5/2017-EE-4]

ANITA KARWAL, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 301(E), dated the 8th April, 2010 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 9th April, 2010 and last amended *vide* notification number G.S.R. 155(E), dated the 20th February, 2017 and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 22nd February, 2017.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.10.18 14:23:17 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.